मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल – 462004

Website : www.mpmandiboard.co.in E-mail : eanugya@gmail.com Tel: 0755-2553429

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/ 1204 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक/उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय,
भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म0प्र0)

(02) सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
..... जिला .....(म0प्र0)

विषयः–"व्यापारी भाईयों" के लिये ई–अनुज्ञा पोर्टल पर पंजीयन की नई सुविधा का आरम्भ।

संदर्भः–कार्यालयीन पत्र क्रमांक बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1182–1183 दिनांक 31/07/2019 एवं पत्र क्रमांक/1186–1187 दिनांक 05 अगस्त 2019।

–0–

उल्लेखित विषय में आप अवगत ही हैं कि दिनांक 16 अगस्त 2019 से प्रदेश की समस्त 257 कृषि उपज मण्डी समितियों में एक साथ ई–अनुज्ञा पोर्टल का कियान्वयन किया जाना आरम्भ किया जा रहा है। जिसमें शतप्रतिशत ई–अनुज्ञा जारी किये जायेंगे।

विषय संदर्भ में दिये गये निर्देशों का स्मरण करें। जिसमें प्रदेश की मण्डी समितियों के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को ई–अनुज्ञा पोर्टल के लिंक https://eanugya.mp.gov.in के माध्यम से भुगतान पत्रक की एण्ट्री एवं प्रिंट की सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी स्क्रीन सुलभ संदर्भ के लिये संलग्न है। इस व्यवस्था में शामिल होने के इच्छूक व्यापारियों द्वारा स्वयं का पंजीयन करने/कराने पर एस.एम.एस. के माध्यम से उन्हें लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड प्रदाय किये जाने का कार्य प्रगति पर है।

अतः अंचल के सभी मण्डी सचिवों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी मण्डी के सभी अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को इस सुविधा की जानकारी देकर उनसे चर्चा कर अधिक से अधिक संख्या में पंजीयन कराने का आग्रह करें व उनकी मदद करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(डॉ.केदार सिंह)
अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बी–5/2/ई–अनुज्ञा (ऑ.ला.)/2019–20/1205 भोपाल दिनांक 14 अगस्त 2019

प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(01) अपर संचालक (समस्त), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

(02) श्री ए0एन0सिद्धीकी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(03) श्री मुशर्रफ सुल्तान, तकनीकी निदेशक, भारत सरकार, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र, सी विंग, आधारतल, विंध्याचल भवन भोपाल।

(04) संयुक्त संचालक (नियमन)/उप संचालक (वित्त/आडिट), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल (म0प्र0)।

अपर संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

व्यापारी पंजीयन स्क्रीन –

eMandi

https://www.eanugya.mp.gov.in

eMandi

होम | मंडी लॉगिन | संभाग लॉगिन | मंडी बोर्ड लॉगिन | व्यापारी लॉगिन

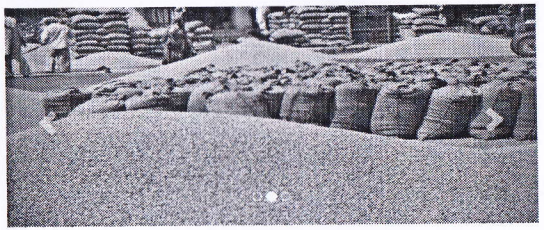

समस्त व्यापारी बंधुओं हेतु ई-मंडी पोर्टल पर नयी सुविधा का प्रारंभ किया जा रहा है जिसमे यदि आप भुगतान पत्र की एंट्री एवं प्रिंट स्वयं करना चाहते है, तो आप अपना पंजीयन दी गयी लिंक के माध्यम से कर,भुगतान पत्र की एंट्री प्रारम्भ कर सकते है|

1. पंजीयन करें
2. व्यापारी पंजीयन के लिये यूजर मेनुअल डाउनलोड करें!

Digital India
Power To Empower

राष्ट्रीय सूचना - विज्ञान केंद्र
NATIONAL INFORMATICS CENTRE
NIC

Download Interstate-Barrier mobile app And UserManual

परिवर्तित ई अनुज्ञा प्रणाली पोर्टल के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल के अधिकारिक यू ट्यूब चैनल **eanugya Mandi Board Bhopal** पर वीडियो सीरीज अपलोड की गयी है जिसमे पार्ट 1 से पार्ट 8 तक मंडी कर्मचारी लॉग इन एवं पार्ट 9 से पार्ट 11 तक मंडी सचिव लॉग इन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है | Kindly subscribe above Youtube channel for more training videos and press bell icon for notifications.

ई-मंडी

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिये, राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मण्डी अधिनियम में किया गया है। वर्ष 1973 से सतत रूप से प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिये मण्डी बोर्ड निम्न उद्देश्यों के लिये सतत प्रयत्नशील है।

- कृषि उत्पादन के विक्रेता को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाना, सही तौल के लिये व्यवस्थायें करना एवं उत्पादक को उसी दिन मूल्य का भुगतान कराना।
- मण्डियों की स्थापना के लिये सर्वेक्षण, साईट प्लान्स एवं मास्टर प्लान का सम्पादन।
- मण्डी प्रांगणों एवं उपमण्डी प्रांगणों में सुचारु विपणन के लिये नियोजित तरीके से मूलभूत सुविधायें विकसित करना।
- वित्तीय रुप से कमजोर मण्डी समितियों को ऋण अथवा अनुदान देना।

Type here to search

EN ENG 15:14 02-07-2019